केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/127 दिनांक: 04.05.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/000126
CICOM/R/2016/00091

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम – शोकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो० – बरौनी – 851112,
जिला – बेगूसराय, बिहार ।

निर्णय की तारीख : 04.05.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	08.01.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	22.01.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री प्रकाश
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	26.02.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	120005/10.03.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	142/11.03.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से शिकायत सं. CIC/AD/C/2013/000533/Vs/07758 के संबंध में दिनांक 12.11.2014 को भेजे गए शिकायत/आपत्ति पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना मांगी है । अपीलकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्हें वांछित सूचना प्रदान नहीं की गई है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री प्रकाश, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को दिनांक 22.01.2016 को उपलब्ध कराई गई सूचना संतोषप्रद नहीं है । प्रदान की गई सूचना में लिखा गया है कि *"This has reference to your online RTI-application dt. 13/01/2016"*, जबकि न तो यह आर.टी.आई. आवेदन ऑनलाइन किया गया है और न ही दिनांक 13.01.2016 मेल खा रहा है । चूंकि यह शिकायत पूर्व मध्य रेलवे, दानापुर से संबंधित है अत: श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – ए.बी. को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना पूर्ण व स्पष्ट रूप में उपलब्ध करवाई जाए ।

Received
12/05/16

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
10 MAY 2016
Initials..........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
10 MAY 2016
D No..........
Initials..........

---2/-

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री उमेश चन्द्र जोशी, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त – ए.बी., केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

10/5/16